पक्ष एवं वाद ग्रामपंचायत दिनांक 23/11/15
का पेश हुए

22/6/18 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के दौरान खुली में पेश हुई। पक्षकार आपसी पत्रावली का अवलोकन किया। ग्रामपंचायत दावा की जमा नामत पर लेकर ही प्रार्थिक हाल मूल दावा के अलावा राशि में वसूल करने के सम्बन्ध में अनुपस्थित रहने के बाबत कोई सन्तोषप्रद कारण नहीं बताया है। प्रतिवादी मूल दावा की पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः यह पत्र विचार हेतु पत्रावली खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हुआ बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2016